

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated-----03/03/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.1** hectares of **forest** land proposed to be diverted in favour of **PWD Pokhari (PMGSY), Uttarakhand** for construction of Shrigad - Hanoli Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Hanoli, Shrigad, Dandagair village (s) in Pokhari Tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.1** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I**. to ...annexure **II**
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(मनीज पन्नी)
राज्यीय सभा/मन्त्री
निलय-चमोली, जिला-चमोली

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
चमोली

33
राज्य निलय, चमोली
पौखरी

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes
& Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 03-3-2015 at Chamoli in which the application claiming rights in village

Hanoli & Dandaguri of Tehsil- Chamoli, area measuring 2.10 Hectares for the Construction of Shrigad-Hanoli Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ-हनोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्रीगढ-हनोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत (2.1 हे० आरक्षित वन भूमि, शून्य हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 2.10हे० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक 05-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विदेह यादव उपजिलाधिकारी
- 2- श्री एल.एन. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री प्रदीप लखेड़ा बी०डी०सी० क्षेत्र बमोथ
- 5- श्रीमती प्रभा देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य खाल
- 6- श्रीमती सरोजनी देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य सेम सांकरी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य/सचिव
सदस्य
समक्ष
सहायक कल्याण अधिकारी
पोखरी चमोली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्रीगढ हनोली मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.10हे० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्रीगढ-हनोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.10हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पोखरी
जनपद चमोली।

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़-हनोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्रीगढ़-हनोली

तहसील- पोखरी, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजना के निर्माण हेतु (2.1 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0 हे० सिविल सोयम भूमि 0.0 हे०, वन पंचायत भूमि 0.0 हे०) अर्थात् कुल 2.1 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतों श्रीगढ़, हनोली एवं डांडागैर द्वारा दिनांक 05.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्रीगढ़, हनोली एवं डांडागैर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०
ग्राम सभा
मुहर सहित

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ग्रा०पं०वि०अधि०.....
न्याय पं०.....
तहसील.....

अध्यक्ष ललिती
म० सं० दल श्रीगढ़
विकास खण्ड पोखरी चमोली



सरपंच
ग्राम पंचायत कलसी
पोखरी (चमोली)

ग्राम पंचायत - कलसीर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमाण प्राप्त गांव सभों के अन्तर्गत
शीगाह - हनोली - डांडागौर और आगे में डांडागौर ग्राम कलसीर
का एक लोक है, जिसमें लगभग 50-60 परिवार अनुसूचित
जाति के लोग निवास करते हैं, जिसकी ओर आगे से जुड़ना
अति आवश्यक है, अतः प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है,

अतः उक्त परिवारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गत किया जाता है।

ग्राम सभा में उपस्थित
ग्रामवासियों के नाम



(1) श्री मदन सिंह -

(2) श्री लक्ष्मण सिंह -

(3) श्री भगत सिंह -

(4) श्री अनिल कुमार - अनिल

(5) श्री नीरज कुमार - नीरज

(6) श्रीमती लीला देवी - लीला देवी

(7) श्री मनोज सिंह - मनोज



Signature
[Signature]

ग्राम पंचायत कलसीर
न्याय पं०
वसुधैव कुटुम्बकम्

Signature
[Signature]
ग्राम पंचायत कलसीर
हनुली (वसुधैव)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़-हनोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

दिनांक 5/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-श्रीगढ़, हनोली, खं डण्डागैर ।

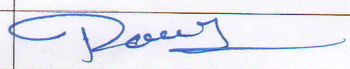
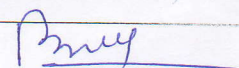
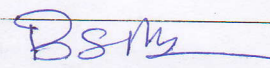
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	श्रीमती वीणा देवी	दीपा देवी
②	श्री दिलवर सिंह	
③	" जयचतुर् सिंह	जयचतुर् सिंह
④	श्रीमती लीला देवी	लीला देवी
⑤	श्रीमती पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
⑥	श्री लखन सिंह	लखन सिंह
⑦	श्री बिजेंद्र सिंह	
⑧	श्री हरेचन्द्र सिंह	
⑨	श्री महावीर सिंह	महावीर
⑩	श्री विजय सिंह	रघुवीर सिंह
⑪	श्री सुनील सिंह	Sunil Singh
⑫	श्री अरुण सिंह	
⑬	श्री अरुण सिंह	
⑭	श्री अरुण सिंह	
⑮	श्री नीरव सिंह	Neerav
⑯	श्री अशोक सिंह	
⑰	॥ अशोक सिंह	अशोक सिंह
⑱	॥ जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
⑲	॥ सत्य नारायण सिंह	
⑳	॥ अरुण सिंह	
㉑	॥ सत्य सिंह	Saty Singh
㉒	॥ अरुण सिंह	
㉓	॥ अरुण सिंह	अरुण सिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान

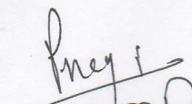


परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत श्रीगढ़-हनोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

दिनांक 5/12/04 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत श्रीगढ़ (हनोली)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रमेश सिंह बर्वाल	
2-	जगत सिंह नेगी (हनोली)	जगत सिंह
3-	उम्मेद सिंह (हनोली)	
4-	केशर सिंह (हनोली)	केशर सिंह
5-	जगमोहन सिंह (हनोली)	जगत सिंह
6-	सुरेश लाल (हनोली)	जरेवाल लाल
7-	प्रोत्तम सिंह (हनोली)	प्रोत्तम सिंह
8-	समेश्वरी देवी (॥)	समेश्वरी देवी-
9-	विजय सिंह -॥-	
10-	चन्द्र सिंह -॥-	चन्द्र सिंह
11-	वीरेंद्र सिंह (श्रीगढ़)	
12-	प्रदीप सिंह -॥-	P.S.N
13-	हरेंद्र सिंह -॥-	हरेंद्र सिंह
14-	दीपक सिंह -॥-	दीपक सिंह

हनोली तालुका ग्राम पंचायत
श्रीगढ़ के अन्तर्गत पड़ता है।


ग्राम पंचायत
श्रीगढ़

